

1.	योजना का नाम	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना							
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार द्वारा जारी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार 10+2 एवं कॉलेज स्तरीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उन छात्र-छात्राओं को दी जाती है जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय क्रमशः 2 लाख, 2 लाख एवं 1 लाख रुपये तक हो। इस योजना में नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जाता है। 							
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ग			प्रारम्भ होने का वर्ष				
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, 1944-45			संशोधित नियम, 01/07/2010				
		अन्य पिछड़ा वर्ग, 1998-99			संशोधित नियम, 01/07/2011				
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी							
5.	पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए माता-पिता/संरक्षक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय सीमा 2 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.00 लाख रुपये तक हो। विद्यार्थी किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में उत्तर मैट्रिक शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो अथवा कक्षा 10 के बाद मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो। 							
6.	देय सुविधाएं	अनुरक्षण भत्ता राशि रुपये में (प्रतिमाह) :-							
		पाठ्यक्रम समूह		छात्रावासी			डै-स्कॉलर		
		अनु.जाति/ अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
		I	A	1200	1200	750	550	550	350
		II	B	820	820	510	530	530	335
		III	C	570	570	400	300	300	210
		IV	D	380	380	260	230	230	160
		फीस :- शिक्षण संस्थान द्वारा नियमानुसार ली गई फीस में नॉन रिफण्डेबल फीस का पुनर्भरण भुगतान देय है।							

7.	आवेदन का तरीका	शैक्षणिक सत्र 2012-13 से आवेदन ऑनलाइन पोर्टल RAJPMS.NIC.IN पर किया जाये तथा प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में जमा करावें।
8.	आवेदन कहां किया जावे	<ul style="list-style-type: none"> राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालय में। निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालयों के माध्यम से संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो अन्य राज्यों की राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, स्वयं के जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आय प्रमाण हेतु माता/पिता/अभिभावक का नोटेरी अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सत्यापित घोषणा पत्र/शपथ पत्र दसवीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति गत उत्तीर्ण समस्त परीक्षाओं की अंकतालिका की सत्यापित प्रति फीस की मूल रसीद आवेदन पत्र पर उपयुक्त स्थान पर आवेदक का प्रमाणित फोटो विद्यार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति यदि संरक्षक का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो माता/पिता/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति <p>केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए :-</p> <ul style="list-style-type: none"> बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की प्रति निःशक्तता प्रमाण पत्र/ विधवा/ तलाकशुदा महिला/ विधवा का पुत्र या पुत्री / तलाकशुदा महिला का पुत्र या पुत्री होने का प्रमाण
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग